न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 111/2011–12

श्रीमती तुलसी देवी मैनी पत्नी आर0सी0 मैनी, निवासी–32/2 गोविन्दगढ़, देहरादून।

बनाम

कासिम अली पुत्र सुबराती, निवासी ग्राम गोरखपुर, आरकेडिया ग्राण्ट, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकत्री : श्री रविन्द्र सिंह।

आदेश

यह निगरानी उत्तरदाता कासिम अली द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12–08–2011 जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वह भूमि खाता संख्या–2240 खसरा नं0–1013/5 ग्राम आरकेडिया ग्राण्ट का एकमात्र मालिक काबिज स्वामी है तथा श्रीमती तुलसी देवी व अन्य व्यक्ति उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है अतः विवादित सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित कर दिये जाएं पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/ परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश दिनांक 26–08–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानीकत्री ने आक्षेपित आदेश के सम्बन्ध में विद्वान परगनाधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति अथवा आक्षेपित आदेश को वापस लिये जाने हेतु आवेदन नही किया है।

मैंने उत्तरदाता की उपस्थिति में निगरानीकत्री के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

स्वीकार्य रूप से आक्षेपित आदेश एक प्रशासनिक प्रकरण में पारित किया गया है जिससे क्षुब्ध होने की स्थिति में उसका उपचार प्रशासनिक ही हो सकता है। निगरानीकत्री या तो परगनाधिकारी के समक्ष ही आक्षेपित आदेश के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करती अथवा इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध करती या आक्षेपित आदेश के विरूद्ध उच्चतर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रत्यावेदन अथवा अपील प्रस्तुत करती जो कि उसके द्वारा नही किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत वर्तमान निगरानी न तो धारा–219 भू0रा0अधि0 न ही धारा–333 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत निगरानी के रूप मे ग्राह्य एवं पोषणीय है। तद्नुसार यह अस्वीकार की जाती है। निगरानीकत्री विद्वान परगनाधिकारी अथवा उच्चतर प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रशासनिक उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

दिनांक:– 16.10.2017

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)